MODEL ANSWER

Q. Discuss the challenges and implications of digital content censorship in India. How can a balance be maintained between freedom of speech and the regulation of online content?

Digital content censorship in India has become a contentious issue with the rise of social media platforms, OTT streaming services, and independent digital journalism. While regulation is necessary to curb misinformation, hate speech, and obscenity, excessive censorship can stifle freedom of expression, which is a fundamental right under Article 19(1)(a) of the Indian Constitution.

Arguments in Favor of a Digital Censorship

1. **Curbing Hate Speech and Misinformation**
    a. The spread of fake news has been directly linked to incidents of violence and communal unrest. (e.g., Delhi Riots 2020 and Muzaffarnagar riots 2013 were triggered by the circulation of misinformation).
    b. Further, misinformation spread during the COVID-19 pandemic lead to instances of vaccine hesitancy endangering public health.
2. **Protecting Cultural and Religious Sensitivities**
    a. India is a diverse country where certain content can create communal disharmony. For instance, the **Tandav controversy (2021)** erupted after an OTT show was accused of hurting religious sentiments, leading to legal complaints and protests across multiple states..
3. **Regulating Online Harassment and Obscenity**
    a. Cyberbullying, explicit content, and privacy violations are increasing. According to **NCRB data (2022)**, **10,730 cases of cyber harassment** were reported, with a significant portion involving online stalking, abuse, and blackmailing
4. **Ensuring Child Safety Online**
    a. Unfiltered internet access exposes minors to inappropriate content. Although, the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 provides safeguards, but enforcement remains weak.
5. **Addressing National Security Concerns**
    a. Digital platforms can be used for radicalization and inciting terrorism. The Pulwama attack (2019) investigation revealed that terrorists were using encrypted messaging platforms to plan and execute the attack, highlighting the need for digital surveillance and regulation.
    b. Under **Section 69A of the IT Act, 2000**, the government has the authority to block online content in the interest of national security and public order. This provision has been invoked multiple times to curb extremist content.

Challenges in Digital Censorship

1. **Threat to Freedom of Expression**: Supreme Court in **Shreya Singhal v. Union of India (2015)** struck down **Section 66A of the IT Act**, stating that vague laws suppress free speech.
2. **Lack of Transparency and Accountability**: Government-mandated content takedowns often lack public justification (e.g., **Twitter/X content removals in 2022**).
3. **Jurisdictional and Technological Challenges**: Many digital platforms operate from foreign countries, making enforcement difficult. Further, AI-based content moderation can be **biased** and **inconsistent**.
4. **Ethical Concerns**: Defining what is "offensive" or "obscene" is subjective, leading to potential misuse for **political censorship**.

Samyak
An Institute For Civil Services

India's legal framework for digital content regulation strikes a balance between freedom of expression and the need for restrictions in specific circumstances. Article 19(1)(a) of the Constitution guarantees free speech, but Article 19(2) allows reasonable restrictions on grounds such as public order and morality. The IT Act, 2000 (Section 69A) empowers the government to block online content in the interest of security, while the Intermediary Guidelines & Digital Media Ethics Code, 2021 regulates OTT platforms, social media, and digital news. Additionally, proposed amendments to the Cinematograph Act, 1952 aim to extend film censorship regulations to streaming services.

A balanced approach to digital censorship requires independent regulatory mechanisms to ensure decisions are free from political influence. Platforms should be mandated to publish transparency reports on content moderation to maintain accountability. Instead of excessive regulation, digital literacy programs should educate citizens on identifying misinformation. Furthermore, public consultations involving legal experts, journalists, and civil society should be a prerequisite for framing digital content policies, ensuring a fair and democratic approach to online regulation.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न: भारत में डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप की चुनौतियों और निहितार्थों पर चर्चा करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन कंटेंट के विनियमन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है?

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, ओटीटी स्ट्रीमिंग सेवाओं और स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता के बढ़ते प्रभाव के साथ, भारत में डिजिटल कंटेंट सेंसरशिप एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है। हालांकि, भ्रामक सूचना, अभद्र भाषा और अश्लीलता को रोकने के लिए नियमन आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत एक मौलिक अधिकार है।

डिजिटल सेंसरशिप के पक्ष में तर्क

1. **अभद्र भाषा और भ्रामक सूचना पर नियंत्रण**
   - फेक न्यूज़ का प्रसार हिंसा और सांप्रदायिक अशांति से जुड़ा हुआ है। उदाहरणस्वरूप, दिल्ली दंगे (2020) और मुज़फ़्फ़रनगर दंगे (2013) भ्रामक सूचना के कारण भड़के थे।
   - कोविड-19 महामारी के दौरान फैली भ्रामक सूचना के कारण वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट देखी गई थी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ।
2. **सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनशीलता की रक्षा**
   - भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए, कुछ डिजिटल सामग्री सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती है। उदाहरण के लिए, "तांडव" विवाद (2021) के दौरान एक ओटीटी शो पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आरोप लगे, जिससे कई राज्यों में कानूनी शिकायतें और विरोध प्रदर्शन हुए।
3. **ऑनलाइन उत्पीड़न और अश्लीलता पर नियंत्रण**
   - साइबरबुलिंग एवं गोपनीयता के उल्लंघन संबंधी मामले बढ़ जा रहे हैं। एनसीआरबी (2022) के अनुसार, साइबर उत्पीड़न के 10,730 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से अधिकांश ऑनलाइन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और ब्लैकमेलिंग से जुड़े थे।
4. **बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना**
   - अनफ़िल्टर्ड इंटरनेट की सुलभता नाबालिगों को अनुचित सामग्री के संपर्क में ला सकता है। हालांकि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कमजोर है।
5. **राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का समाधान**
   - डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। पुलवामा हमले (2019) की जाँच से पता चला कि आतंकवादी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे थे, जिससे डिजिटल निगरानी और विनियमन की आवश्यकता उजागर होती है।
   - आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है। इस प्रावधान का कई बार चरमपंथी सामग्री को रोकने के लिए उपयोग किया गया है।

डिजिटल सेंसरशिप की चुनौतियाँ

1. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा**: **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने **आईटी अधिनियम की धारा 66A** को यह कहते हुए **असंवैधानिक** ठहराया कि अस्पष्ट कानून **स्वतंत्र भाषण को दबा सकते हैं**।
2. **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी**: सरकार द्वारा **ऑनलाइन सामग्री हटाने** के मामलों में **पारदर्शिता की कमी** होती है। उदाहरण के लिए, **2022 में ट्विटर/एक्स** से अनिवार्य रूप से **सामग्री हटाने के निर्णय** पर सार्वजनिक औचित्य स्पष्ट नहीं था।
3. **अधिकार क्षेत्र और तकनीकी चुनौतियाँ**: **अधिकांश डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विदेशी देशों से संचालित** होते हैं, जिससे **निगरानी मुश्किल** हो जाता है। **AI-आधारित कंटेंट मॉडरेशन** कई बार **पक्षपाती और असंगत** साबित होता है।
4. **नैतिक चिंताएँ**: "आक्रामक" या "अश्लील" सामग्री की **व्याख्या व्यक्तिपरक** होती है, जिससे **राजनीतिक सेंसरशिप** की संभावना बढ़ जाती है।

डिजिटल सामग्री विनियमन के लिए भारत का कानूनी ढाँचा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विशिष्ट परिस्थितियों में प्रतिबंधों की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करता है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) स्वतंत्रत भाषण की गारंटी देता है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंधों की अनुमति देता है। आईटी अधिनियम, 2000 (धारा 69क) सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऑनलाइन सामग्री अवरुद्ध करने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम, 2021 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और डिजिटल समाचारों को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए फिल्म सेंसरशिप विनियमों का विस्तार करना है।

डिजिटल सेंसरशिप के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्र विनियामक तंत्र की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हों। जवाबदेही बनाए रखने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को कंटेंट मॉडरेशन पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। अत्यधिक विनियमन के बजाय, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को गलत सूचना की पहचान करने के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कानूनी विशेषज्ञों, पत्रकारों और नागरिक समाज को शामिल करते हुए सार्वजनिक परामर्श डिजिटल सामग्री संबंधी नीतियों को तैयार करने के लिए अति आवश्यक बनाया जाना चाहिए, जिससे ऑनलाइन विनियमन के लिए एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

Samyak
An Institute For Civil Services